Receipt No : 208090/2021/(ESDW)

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Speed Post
SPEED POST

File No. Tour Report/ (CP)/MP/2/2021-ESDW

6th Floor, Loknayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-03,
Dated: 22.09.2021

To,

1. **The Chief Secretary,**
Government of Madhya Pradesh,
MP Mantrayala, Vallabh Bhawan,
Bhopal-462004
2. The Vice-Chancellor,
Devi Ahilya Bai University,
Nalanda Campus, RNT Marg,
Indore, MP-452001
3. **The District Collector,**
District Jhabua,
Madhya Pradesh-457661

Sub: Tour Report of Shri Harch Chouhan, Hon'ble Chairperson, NCST of visit to the State of Madhya Pradesh (Indore and Jhabua) from 19.08.2021 to 25.08.2021.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Tour report of Shri Harsh Chouhan, Hon'ble Chairperson, NCST of visit to the State of Madhya Pradesh (Indore and Jhabua) from 19.08.2021 to 25.08.2021 for ready reference.

2. It is requested that necessary action may be taken on the points raised/recommendations in the Tour report and furnish the report to the Commission at the earliest.

4759-61
जारी किया 22/9/21
ISSUED O/C

Yours faithfully,

(R.K. DUBEY)
Deputy Director
PH. No. 011-24601346
Email. Id – assttdir@ncst.nic.in

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

दौरा प्रतिवेदन एवं समीक्षा बैठक

दिनांक 19 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021

1. दौरा करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम	श्री हर्ष चौहान माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली श्री अभिनव प्रकाश सहायक निजी सचिव (माननीय अध्यक्ष के) श्री पी.सी मांगरिया सलाहकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
2. दौरे की तिथि	दिनांक 19 से 25 अगस्त 2021
3. दौरा किये गये स्थान	i. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर ii. कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ (म.प्र.)

4. मुख्य अधिकारीगण/संगठनों/व्यक्तियों से मिले

i.	प्रो. रेनू जैन, कुलपति, देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
ii.	प्रो. अशोक शर्मा, कुलाधि सचिव, देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
iii.	डॉ. अनिल शर्मा, कुल सचिव, देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)
iv.	श्री वी.के. शुक्ला, सहायक आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग, जिला इंदौर (म.प्र.)
v.	श्री सोमेश मिश्रा, कलेक्टर झाबुआ (म.प्र.)
vi.	श्री आशुतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, झाबुआ (म.प्र.)
vii.	श्री प्रशांत आर्या, सहायक आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग, जिला झाबुआ (म.प्र.)
viii.	श्री जे.एस. बघेल, अपर कलेक्टर जिला झाबुआ (म.प्र.)
ix.	श्री सिध्दार्थ जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ (म.प्र.)
x.	श्री दिनेश वर्मा, अति. मु.का.पा.अधि. पंचायत झाबुआ (म.प्र.)
xi.	श्री रविन्द्र राठी, उप पुलिस अधीक्षक, अजाक, झाबुआ (म.प्र.)
xii.	श्री ज्ञानेन्द्र ओझा, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला झाबुआ (म.प्र.)
xiii.	डॉ. जे.पी.एस. ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला झाबुआ (म.प्र.)

3/9/2021
हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Generated from eOffice by HARI RAM MEENA, SENIOR INVESTIGATOR , O/o CP on 01/10/21 03:11 PM

xiv.	श्री एम.एल. हरित, जिला वन अधिकारी, जिला झाबुआ (म.प्र.)
xv.	श्री सोहन कनास, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला झाबुआ (म.प्र.)
xvi.	श्री प्रदीप कछावा, उप वन मण्डलाअधिकारी, जिला झाबुआ (म.प्र.)
xvii.	श्री एल.एन. प्रजापति, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र झाबुआ (म.प्र.)
xviii	डॉ. राहुल गणावा, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला झाबुआ (म.प्र.)
xix.	श्री राजाराम खन्ना, एनएचएम जिला कार्यक्रम प्रबंधक

5. **दौरे के मुख्य बिंदु :**

i. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में अनुसूचित जनजातियों पर शोध कार्यक्रम का अध्ययन।

ii. झाबुआ जिले में पेसा एक्ट एवं वन अधिकार अधिनियम तथा जिले की समीक्षा बैठक ।

6. **दिनांक 20 अगस्त 2021 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में की गई बैठक :-**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हर्ष चौहान द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के तक्षशीला परिसर में स्थित, ईएमआरसी में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय श्री हर्ष चौहान, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली व्दारा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विश्व विद्यालय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के विकास, अनुसूचित जनजाति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर शोध विषय पर चर्चा एवं छात्रों के सम्पूर्ण विकास हेतु सुझाव सम्बंधित जानकारी साझा करना एवं उनके लिए रोजगार सम्बंधी विषयों पर जानकारी प्राप्त करना था। माननीया कुलपति, प्रो.रेनू जैन ने आयोग को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में कुल आठ जिलों के विद्यार्थी अध्ययन करते है। उसमें से 7 जिले आदिवासी बाहुल्य जिले है। माननीय कुलपति महोदया ने कहा कि अनुसूचित जनजाति प्रकृति के निकट रहते है उन्हे प्रकृति के साथ रहकर अपना जीवन यापन करना आता है। हमें भी उन्ही की भांति प्रकृति का अनावश्यक दोहन नहीं करना चाहिए। विश्वविद्यालय ने आठ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के गांवों को गोद लिया है। उन्होने इन अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों की सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ सम्बंधित गतिविधियों की जानकारी बैठक में दी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान जी ने कहा कि मैं भी इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, इस नाते मेरा इससे व्यक्तिगत तौर पर लगाव है। उन्होंने कहा जनजाति समाज की जमीनी हकीकत अलग है जबकि पुस्तकों में शोध के आधार पर रहन सहन, खान-पान व सामाजिक जानकारी प्रदान की जाती रही है। अनुसूचित जनजातियों का उचित विकास न होने के कारण आजादी के 75 वर्ष बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बहुत धीमी है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र बहुत पिछडा है। अनुसूचित जनजाति समाज अपनी संस्कृति व सभ्यता में ही रहना पसंद करते है। विश्वविद्यालय व्दारा गोद लिये गये 7 जिलों में शिक्षा के लिये छात्रों को प्रेरित करना, ऐसे शिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना जो रोजगारोन्मुख हों, तथा विश्वविद्यालय को अनुसूचित जनजाति संवर्ग के छात्रों का पालक के रूप में काम करते हुये सही मार्गदर्शन प्रदान करना विश्वविद्यालय की

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जवाबदारी है। ऐसे विषयों पर शोधकार्य होने चाहिए जिससे अनुसूचित जनजाति के युवा शिक्षित हो सके तथा अपना जीवन स्तर सुधारने के लिये प्रेरित हो। यह शोध केवल संस्कृति, पहनावा एवं भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नही रहें।

श्री कन्हैया अहूजा, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर ने अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में किये जा रहे शोध विषयों की जानकारी दी। उन्होने बताया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली व्दारा सात विशेष सहायक प्रोग्राम संचालित किये जा रहे हैं। उनके व्दारा इस विषय पर अभी तक 40 से अधिक परियोजनओं पर कार्य हो चुका है। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्व विध्यालय को सेन्ट्रल विद पोटेंशियल का दर्जा प्रदान किया गया है। उन्होने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजाति को संविधान व्दारा दिये गये अधिकारों पर भी शोध किया जाना चाहिए।

श्री सखा राम, एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा कि वे विश्वविद्यालय में विगत 14 वर्ष से कार्यरत हैं। वे बडवानी जिले के निवासी है। जहां 60 प्रतिशत आबादी जनजाति वर्ग की है। उन्होने अपना परिचय देते हुये कहा कि वे स्वयं जनजाति वर्ग से है। उनका भी यही मत है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना आवश्यक है। उन्होने यह भी कहा कि आज तक उनके व्दारा अध्ययन प्राप्त छात्र 213 सहायक प्राध्यापक बनाया है। वे स्वयं समय निकालकर अपने व्यय से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बच्चों के साथ समय व्यतित करते है तथा उन्हे शिक्षा के लिये प्रेरित करते है। शिक्षा टेक्नालॉजी, कम्प्युटर एवं मोबाईल से जुडी होनी चाहिए। छात्रों के लिये सांयकाल कोचिंग क्लास आरम्भ की जानी चाहिए। उनके व्दारा ज्ञान प्राप्त कर वे शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय श्री हर्ष चौहान व्दारा सुझाव दिया गया कि छात्रों को टेक्नोलॉजी, कम्प्युटर से जोडने के लिये उन्हे जमीनी स्तर पर सिखाने की जरूरत है। नये तालाब बनवाना, कृषि कार्य में जैविक खेती को बढावा देने वाले साधन उपलब्ध कराना, जैविक फसलों के लिये उचित मार्केटिंग की जाना चाहिए। ऐसे साधनों का विकास होने पर अनुसूचित जनजाति के युवा अपने जीवन स्तर को सुधारने में सक्षम हो सकेंगे। उन्होने यह भी कहा कि शिक्षा का आरम्भ केवल किताबी नही होना चाहिए उसे व्यवहारिक बनाने के लिये उसका एक्सपोजर भी जरूरी है। ताकि छात्रों के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। शिक्षक का कार्य खोज में सहायता प्रदान करना है ना की रटी रटाई पध्दती से शिक्षा प्रदान करना। हमे बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होने कहा कि इस विषय पर विश्व विद्यालय प्रस्ताव बनाकर आयोग को भेजे। छात्रों को छात्रवृति एवं आवास भत्ता समय पर मिले, विश्वविद्यालय में प्रतिभावान छात्रों को उचित प्रोत्साहन मिले, पालक की तरह उचित मार्गदर्शन मिले, तभी हम अनुसूचित जनजाति में शिक्षित समाज का निर्माण कर पायेंगे। इस हेतु सम्बंधित सभी विभाग सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लें।

श्री अशोक शर्मा, कुलाधि सचिव ने आभार वक्तव्य में कहा कि झाबुआ जिले में 87 प्रतिशत जनजाति

Harsh Chouhan
हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संवर्ग के छात्र हैं, वहा शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं की कमी है। कोचिंग सेन्टर नही है छात्रों को उचित मार्ग दर्शन नही मिलता है इस हेतु सरकार को विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होने आभार प्रकट करते हुये माननीय अध्यक्ष महोदय का विश्वविद्यालय में पधारने व अनुसूचित जनजाति विषय पर गम्भीर विचार विमर्श करने पर धन्यवाद दिया। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

7. सभागृह, कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ दिनांक 24-08-2021

कलेक्टर कार्यालय, झाबुआ के सभागृह में माननीय अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में सम्मिलित अधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों के सम्बंध में आयोग को जानकारी दी गई। श्री प्रशांत आर्या, सहायक आयुक्त, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा झाबुआ जिले की वर्तमान स्थिति पर जानकारी देते हुये कहा कि जिला झाबुआ में जनजाति समुदाय 87 प्रतिशत है, जिसमें साक्षरता दर 43.30 प्रतिशत है, यहां अधिकांश जनजाति खेती व मजदूरी से अपना जीवन यापन करती है। उद्योग धंधो की कमी के कारण रोजगार की तलाश में अन्य जिलों में तथा सीमावर्ती अन्य राज्यों में मजदूर पलायन करते हैं। अनुसूचति जनजाति वर्ग के लोगों के साथ सामान्यतः निवास स्थान तथा कार्य स्थल पर प्रताड़ना की शिकायतें प्राप्त होती है। जिनका निराकरण अनुसूचति जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 संशोधित नियम 2016 के तहत प्रकरण दर्ज किये जाते हैं। अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अधिनियम की धारा 11 के तहत अत्याचार से पीडित व्यक्ति व उसके आश्रितों तथा साक्षियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, भरण पोषण व्यय व परिवहन सुविधा दी जाती है। अधिनियम की धारा 12 (4) कि तहत पीडित व्यक्ति को प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिये जाने पर तथा न्यायालय व्दारा दोष सिध्द किये जाने पर अधिनियम के मापदंण्ड के तहत राहत राशि दिये जाने का प्रावधान है।

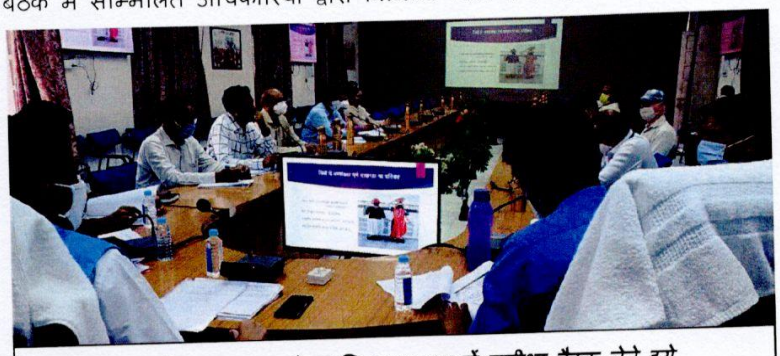

माननीय अध्यक्ष महोदय जिला झाबुआ में समीक्षा बैठक लेते हुये

अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करने पर जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। जाति प्रमाण पत्र जिस जिले/राज्य का है उसी जिले/राज्य से राहत राशि स्वीकृत की जाती है। जाति प्रमाण पत्र न होने का मुख्य कारण अशिक्षा व जागरूकता का अभाव है। जिसके कारण अधिकांश लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नही है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिये लोकसेवा केन्द्र जाना पडता है व पटवारी से वंशावली टीप लिखवानी पडती है। इस कार्य में बहुत समय लगता है। वंशावली टीप ना उपलब्ध होने पर प्रमाण पत्र भी नही बन पाते है। प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। राहत राशि के प्रकरण में प्रमाण पत्र एक मुख्य दस्तावेज है जिसके अभाव में राहत राशि नही मिल पाती है।

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBE
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

उप पुलिस अधीक्षक अजाक (आदिम जाति कल्याण), जिला झाबुआ ने बताया कि जनवरी 2020 से अगस्त 2021 तक कुल 18 प्रकरण पंजीबध्द किये गये तथा राहत राशि के प्रकरण की संख्या 18 है। जिसमें 17 को राहत राशि प्रदान कर दी गई है।

8. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा एक्ट)

श्री प्रशांत आर्या, सहायक आयुक्त, अनुसूचित जनजाति द्वारा बताया गया कि झाबुआ जिला भारतीय संविधान के भाग 9 में पांचवी अनुसूचित का क्षेत्र होने के कारण पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा 129 (अं) के तहत अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के प्रावधान लागू हैं। यहा पर प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा गठित है। प्रत्येक ग्राम सभा जनसाधारण की परम्पराओं रूढियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संपदाओं और विवाद के निपटान में सक्षम है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये शासकीय विभाग व्दारा जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। झाबुआ जिले में कुल 375 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रधान/सरपंच पदस्थ हैं। जिले में कुल 6 जनपद पंचायत है। झाबुआ जिले में त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था में पंच, जिला पंचायत सदस्य तथा विभिन्न वर्गो एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आरक्षण व्यवस्था लागू है।

9. जनजाति समाज के लिये वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जागरूकता लाने हेतु किए गए प्रयास

श्री एम.एल. हरित, जिला वन अधिकारी, जिला झाबुआ (म.प्र.) ने आयोग को बताया कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त दावों की संख्या 4325 है। जिसमें से 1479 को वितरित हक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तथा 2846 दावों को निरस्त किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय व्दारा निर्देश दिया गया कि वन अधिकार पट्टों के वितरण से सम्बंधित प्रक्रिया का सरलीकरण किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर एक रिपोर्ट/प्रस्ताव तैयार कर आयोग को प्रस्तुत करें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजाति कार्य विभाग एवं वन विभाग मिलकर बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा सके, जो शासन स्तर से लागू हो। झाबुआ जिले में सकारात्मक सोच के साथ कार्य होगा तो प्रदेश में एक बेहतर संदेश जायेगा।

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Generated from eOffice by HARI RAM MEENA, SENIOR INVESTIGATOR , O/o CP on 01/10/21 03:11 PM

10. जिले में कोविड-19 माहमारी की स्थिति एवं टीकाकरण अभियान की वर्तमान स्थिति

डॉ. जे.पी.एस. ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला झाबुआ (म.प्र.) ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि कोरोना की द्वितीय लहर में पॉजीटिव कुल प्रकरण 7708 पंजीबध्द किये गये जिसमें से 7622 को स्वस्थ होने के उपरांत अस्पताल से छूट्टी दी गई। जिले में कुल फीवर क्लीनिकों की संख्या 8 है जिसके माध्यम से 207698 सेम्पल लिये गये। विगत 7 दिन में कोई भी कोविड पॉजीटिव केस दर्ज नही किया गया। जिले में 2 बडे अस्पताल है जिसमें झाबुआ में 76 बिस्तरों की उपलब्धता है और पेटलावद में 70 बिस्तरों की उपलब्धता है। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेण्डर की उपलब्धता पर्याप्त है। कोविड 19 माहामारी की तीसरी लहर की तैयारियों में ऑक्सीजन 90 बिस्तरों की वृध्दि की गई है। ऑक्सीजन की उपलब्धता बढाने के लिये नवीन एयर सेपरेशन यूनिट प्लांट थांदला, पेटलावद, झाबुआ में निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिले में जन सहयोग से 6 एम्बुलेंस क्रय की गई है, पिडियाट्रीक स्टॉफ को प्रशिक्षित किया गया है। जिले में टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है प्रतिदिन लगभग 35 हजार हितग्राहियों को टीकाकरण करवाने का लक्ष्य है। कोविड टीकाकरण में कमी का कारण लोगों में जागरूकता की कमी है व भ्रमित प्रचार के कारण लोग टीका नहीं लगवा रहे है। वर्तमान में टीकाकरण महाअभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाकर भ्रातियां दूर की जा रही है। विभिन्न स्थानों पर केम्प के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा है। जिससे टीकाकरण कार्य में प्रगति आई है इससे कुल उपलब्धी प्रथम डोज 3,52,083 व द्वितीय डोज 53,428 कुल 4,05,511 हितग्राहीयों को टीकाकरण किया गया। जोकि कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय जिला झाबुआ में समीक्षा बैठक लेते हुये

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वास्थ के क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने कहा कि ईलाज के लिये अनुसूचित जनजातियों को अन्य राज्यों में नही जाना पडे। अनुसूचित जनजाति वर्ग के मध्य चिकित्सा क्षेत्र में विश्वास प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उन्हें ईलाज हेतु अनावश्यक कर्ज लेकर निजी अस्पतालों में ईलाज ना कराना पडे।

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Generated from eOffice by HARI RAM MEENA, SENIOR INVESTIGATOR , O/o CP on 01/10/21 03:11 PM

11. जिले में साक्षरता अभियान

जिले में साक्षरता दर 43 प्रतिशत है जिसमें अ से अक्षर अभियान के तहत पेटलावद एवं थांदला विकासखण्ड में 1,52,387 साक्षर है। अ से अक्षर अभियान के तहत 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोगों को साक्षर करना है। 15 अगस्त 2021 से प्रभारी मंत्री द्वारा अ से अक्षर अभियान की शुरूआत की गई है। इसमें प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखण्ड में 50-50 गांवों का चयन किया गया। सर्वे कार्य में शिक्षक एवं एन.जी.ओ. के फील्ड ऑफिसर के माध्यम से निरक्षर व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करना, तथा बी.ई.ओ. के सहयोग से अभियान को सफल बनाने हेतु कार्य करना है। सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक फलिया ग्राम पंचायत स्तर पर साक्षरता हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाना है। इस कार्य में पंचायत सचिव महिला मण्डल एवं कोटवार भी सहयोग करेंगे। शिक्षण कार्य स्थानीय भीली तथा हिन्दी भाषा में वर्ण शब्द ज्ञान, वाक्य बनाना, नम्बर पहचान, जोडना, घटाना आदि शामिल है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया कि कक्षा 6, 7, 8 के पाठ्क्रम में **"मेरा जिला"** अध्याय सम्मिलित किया जाये जिसमें जिले का भूगोल, संस्कृति, परम्परायें, इतिहास, पुरातत्व एवं अन्य विषयों का समावेश रहे। इन विषयों को सम्मिलित किये जाने हेतु जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जाये तथा विषय विशेषज्ञों से अनुशंसित किये गये पाठ्यक्रम को सम्मिलित कराये जाने सम्बंधित कार्यवाही की जाये। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग झाबुआ द्वारा विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी गई। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के संशोधित नियम 2016 अंतर्गत पृथक-पृथक घटित घटना स्वरूप भिन्न-भिन्न भादवि की धाराओं और अनुसूचित जाति और जनजाति की धाराओं में आवश्यक संशोधन राज्य स्तर/केन्द्र स्तर से सरलीकरण एवं शिथिल किये जाने की आवश्यकता हैं। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के व्यक्ति मजदूरी/अन्य प्रयोजन हेतु अन्यत्र जिले/राज्य में प्रवास पर जाने पर उनके साथ उक्त स्थल/स्थान पर घटित घटनाओं के फलस्वरूप उसी जिले/राज्य में आकस्मिकता राहत योजना अंतर्गत राहत सहायता राशि स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही वही से किए जाने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत हितग्राही के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पर जिला स्तर से संबंधित थाना प्रभारियों/ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिव को निर्देश दिए गए है कि संबंधित हितग्राहियों के पास जाकर जब तक डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने पर तात्कालिक/वैकल्पिक व्यवस्था के फलस्वरूप संबंधित आवेदक/हितग्राही को नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते है एवं संबंधित थाना प्रभारी उक्त जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर घटित अपराध के राहत प्रकरण संलग्न कर जिला स्तर पर राशि स्वीकृति/भुगतान हेतु प्रेषित किए जाकर जिला स्तरीय समिति व्दारा राहत प्रकरण में शासन नियमानुसार राहत राशि स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जाती है।

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Generated from eOffice by HARI RAM MEENA, SENIOR INVESTIGATOR , O/o CP on 01/10/21 03:11 PM

उक्त आयोजित बैठक में जिला स्तर पर साक्षरता को बढाने हेतु किये गये विशेष प्रयास अंतर्गत अ से अक्षर ज्ञान, पेसा एक्ट एवं स्वास्थ विभाग की योजनाओं की समीक्षा प्रेजेन्टेशन के माध्यम से की गई। अंत में कलेक्टर महोदय द्वारा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुये आभार व्यक्त किया गया।

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Generated from eOffice by HARI RAM MEENA, SENIOR INVESTIGATOR , O/o CP on 01/10/21 03:11 PM